17.04.25 पत्रावली पेश हुई। पैरोकार राज उपस्थित। पैरोकार राज को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी द्वय अपनी कृषि भूमि में से बिना स्वीकृति पेड़ों को काटा गया है जिसके लिये वह दोषी है। अप्रार्थी का उक्त पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के विरुद्ध 100/- प्रति पेड़ जुर्माना लगाया जाकर जब्तशुदा लकड़ी की सार्वजनिक निलामी करवाकर उक्त राशी राजकोष में जमा करवाई जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार के रावला को पालनार्थ प्रेषित हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तस्मील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.04.25
(किरण पाल)
RAS.